



-प्रेस नोट-

दिनांक 15.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू, 01 मोबाइल फोन बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान मु0अ0सं0-166/2026 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **सलमान पुत्र मौ0 इकबाल निवासी भंगी कालोनी निकट कब्रिस्तान थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर में खण्डहर पडे गोदामों के बीच सुनसान रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू व मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गया मोबाईल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तारी व चाकू बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 167/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सलमान पुत्र मौ0 इकबाल निवासी भंगी कालोनी निकट कब्रिस्तान थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 चाकू
- 01 मोबाईल कीपेड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शहरोज आलम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1233 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15-04-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.26 को प्रवेज पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चाण्डी थाना बेहट की लिखित सूचना बाबत मेढ पर चूल्हा बनाने को लेकर हुए विवाद में इस्लाम पुत्र मीरहसन नि0 ग्राम चाण्डी थाना बेहट सहारनपुर की चोट लगने के कारण मृत्यु कारित हो जाने पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0-164/26 धारा-115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस बनाम खालिद आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर हत्या की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **खालिद पुत्र सईद निवासी ग्राम चाण्डी थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 15.04.2026 को ग्राम कलसिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हमारे तथा प्रवेज के खेत की डोल मिली हुई है। हम लोगों ने डोल की मेढ पर चूल्हा बना रखा था। इस्लाम हमारे द्वारा मेढ पर चूल्हा बनाने का विरोध कर रहा था तो तैश में आकर हम लोगों ने इस्लाम के साथ मारपीट कर दी थी, हम लोग मौके से भाग गये थे। हमें पता चला था कि इस्लाम की मौत हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. खालिद पुत्र सईद निवासी ग्राम चाण्डी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री संजीव शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 636 सतीश कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 900 सचिन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक- 15.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सिमरन सिंह (I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.04.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त आस मोहम्मद पुत्र मुन्त्याज निवासी ग्राम सुन्हैटी अकबरपुर थाना कैराना जिला शामली को सुल्तानपुर से फिरोजाबाद जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 134/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. आस मोहम्मद पुत्र मुन्त्याज निवासी ग्राम सुन्हैटी अकबरपुर थाना कैराना जिला शामली

बरामदगी -

➤ 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 382/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जिला शामली
2. मु0अ0सं0 515/22 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना शामली जिला शामली
3. मु0अ0सं0 466/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जिला शामली
4. मु0अ0सं0 134/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक:15.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना जनकपुरी साइबर सैल, द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुये व्यक्ति के कराये गये शत-
प्रतिशत 50000/- रूपये वापस**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.26 को शिकायकर्ता श्री गिरीश कुमार निवासी म0नं0 3 जनकनगर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ने साइबर शिकायत सं0 33103260068518 पंजीकृत कराई थी, जिसमें धोखाधडी से 50000/- रूपये अज्ञात व्यक्ति के खाते में आनलाइन ट्रांसफर करा लिये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर के निर्देशन में, साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पर गठित साइबर सेल टीम द्वारा उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुये शिकायतकर्ता गिरीश कुमार उपरोक्त की धोखाधडी में गयी सम्पूर्ण धनराशि 50000/- रूपये सम्बन्धित नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आज दिनांक 15.04.2026 को साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना जनकपुरी द्वारा वापस कराई गई। शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधडी में गई धनराशि वापस कराने पर थाना जनकपुरी पुलिस का आभार प्रकट किया है।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री लाल सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. क0आ0 शिखा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. 5.का0 132 संदीप कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा मय

कारतूस बरामद-

अवगत कराना है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को शाहिद पुत्र ताहिर हसन निवासी ग्राम बाबूपुरा थाना ननौता जिला सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर प्रभात टाकिज की पार्किंग के पीछे थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 81/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्यविधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. शाहिद पुत्र ताहिर हसन निवासी ग्राम बाबूपुरा थाना ननौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 तमंचा 315 बोर

➤ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. है0कां0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 306 सोनू कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 15.04.2026

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वाले 03 ट्रैक्टर ट्राली को सीज
किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक /थाना प्रभारी सिमरन सिंह (I.P.S) के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को चेकिंग के दौरान पटनी से कातला जाने वाले मार्ग से 03 वाहन ट्रैक्टर-ट्राली को अवैध रूप से मिट्टी खनन करने के संबंध में सीज किया गया।

सीज किय गये वाहन का विवरण-

➤ 03 ट्रैक्टर महिन्द्रा 475 (बिना नम्बर प्लेट)

सीज करने वाली पुलिस/ राजस्व टीम-

1. उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह , थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 799 मोहित शर्मा , थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:-15.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी का सामान खरीदने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का खरीदा हुआ सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2026 को वादी सुभाषचन्द पुत्र श्री हरीसिंह निवासी ग्राम सैदपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के धर्म कांटे पर खड़े लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली से 05 गुल्ले व एक ग्राइंडर मशीन व एक ट्रैक्टर का हिंच (कूंडा) को चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 77/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश – निर्देश दिए आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.04.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तगण जो चोरी का सामान खरीदने वाले **1.भूरा उर्फ मुनीर पुत्र जहीर अहमद 2.बिलाल पुत्र भूरा उर्फ मुनीर निवासी गण शांति धाम रोड सहारनपुर** को मदर टेरेसा स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे/निशादेही से उपरोक्त मुकदमा से संबंधित दो ट्रैक्टर ट्राली में लगने वाले लोहा के गुल्ले बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम लोग कबाड़ खरीदने का काम करते हैं दिनांक 15.03.26 को हम दोनो ने चोरो से यह ट्रैक्टर के गुल्ले लोहा खरीदे थे उन चोरो को पुलिस पकडकर जेल भेज दी है जब हम दोनो को पता चला तो हम दोनो ने ट्रैक्टर में लगने वाले 02 गुल्ले लोहा सहारनपुर अम्बारा रोड कस्बा सरसावा से शांति धाम रोड पर मदर टेरेसा स्कूल से आगे एक आम के बाग में पकडे जाने व चोरी का माल बरामद होने के डर से छिपा कर रख दिये थे। जिसको आज आप लोगो ने बरामद कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता:-

- 1.भूरा उर्फ मुनीर पुत्र जहीर अहमद निवासी गण मौहल्ला पश्चिमी अफगनान झन्डा चौक के पास कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 2.बिलाल पुत्र भूरा उर्फ मुनीर निवासी गण मौहल्ला पश्चिमी अफगनान झन्डा चौक के पास कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

02 ट्रैक्टर ट्राली में लगने वाले गुल्ले लोहा

गिरफ्तार अभियुक्त भूरा उर्फ मुनीर का आपराधिक इतिहास :-

- 1.मु0अ0सं0 49/11 धारा 3 गुण्डागर्दी अधिनियम थाना सरसावा सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0 166/13 धारा 414,420 भादवि0 थाना सरसावा, सहारनपुर
- 3.मु0अ0सं0 106/15 धारा 110 गुण्डा अधिनियम थाना सरसावा, सहारनपुर
- 4.मु0अ0सं0 324/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा
- 5.मु0अ0सं0 77/26 धारा 303(2),317(2),317(5) बीएनएस थाना सरसावा,सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री देवकरन शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
- 2.है0का0 24 सुनील थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3.का0 2225 रंगेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 4.का0 2413 जगदीश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

